"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 मार्च 2018 — फाल्गुन 14, शक 1939

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–6/2018/वा.क.(आब.)/पांच(20). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मदिरा के प्रदाय पर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो, निम्नानुसार अधिरोपित करता है :–

क्र.	मदिरा का प्रकार		काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो
1.	देशी मदिरा		कारखाने के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राईस) पर 50 प्रतिशत
2.	विदेशी मदिरा	(स्प्रिट)	लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 45 प्रतिशत
		(माल्ट)	लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 35 प्रतिशत

2. उपरोक्त काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क का भुगतान देशी मदिरा के भंडारण भण्डागार/छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम में मदिरा प्रदाय के पूर्व किया जाना आवश्यक होगा।

3. विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10–10/2017/वा.कर(आब.)/पांच (01), दिनांक 12–01–2018 को एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

4. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2018 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 10–6/2018/वा.क.(आब.)/पांच(20). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–6/2018/वा.क.(आब.)/पांच (20), दिनांक 27.02.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 27th February 2018

NOTIFICATION

No. F10-6/2018/CT(EX)/V(20). — In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 25 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) the State Government hereby levies Countervailing duty or Excise Duty as applicable on supply of liquor as follows, namely :-

S. No.	Type of Liquor		Countervailing duty or Excise duty as applicable
1.	Country Liquor		50% on ex-factory Price.
2.	Foreign Liquor	(Spirit)	45% on Landing Price (Excluding Excise duty/Counterveling duty)
		(Malt)	35% on Landing Price (Excluding Excise duty/Counterveling duty)

2. Above Countervailing duty or Excise Duty is payable before supply of liquor to warehouse of country liquor/godown of Chhattisgarh State Beverages Corporation Limited.

3. The Notification No. F10-10/2017/CT(EX)/V(01), Dated 12-1-2018 is hereby repealed.

4. This Notification shall come into force from 01-04-2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–6/2018/वा.क.(आब)/पांच (21). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क तथा धारा 62 की उप धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.),(छ) और (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु दिनांक 01–04–2018 से देशी/विदेशी मदिरा के लिए वेयर हाउस से मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसारनिर्धारित करता है :–

सारिणी

क्र.	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर
1.	देशी मदिरा :– मसाला – 25.0UP प्लेन – 50.0 UP रासी – 60.0 UP	रूपये 285/– प्रति प्रूफ लीटर

2.	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :–विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2018–19 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर (काउंटरवेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) प्रति पेटी निम्नानुसार होगी :–	
	1. रूपये 800/– तक	रूपये 300/– प्रति प्रूफ लीटर
	2. रूपये 801/– से 1100/– तक	रूपये 450/– प्रति प्रूफ लीटर
	3. रूपये 1101/– से 1500/– तक	रूपये 550/– प्रति प्रूफ लीटर
	4. रूपये 1501/– से 2000/– तक	रूपये 660/– प्रति प्रूफ लीटर
	5. रूपये 2001/– से 3000/– तक	रूपये 720/– प्रति प्रूफ लीटर
	6. रूपये 3001/– से 4000/– तक	रूपये 790/– प्रति प्रूफ लीटर
	7. रूपये 4001/– से 6000/– तक	रूपये 830/– प्रति प्रूफ लीटर
	8. रूपये 6001/– से 8000/– तक	रूपये 850/– प्रति प्रूफ लीटर
	9. रूपये 8001/– से 10,000/– तक	रूपये 880/– प्रति प्रूफ लीटर
	10. रूपये 10,001/– और उससे अधिक	रूपये 900/– प्रति प्रूफ लीटर
3.	बीयर (माल्ट) मदिरा	भण्डागार प्रदाय दर (काउंटरवेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) पर 100 प्रतिशत की दर से परन्तु न्यूनतम ड्यूटी दर रूपये 75/– प्रति बल्क लीटर से कम नहीं होगी।
4.	सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिए :–	
	(क)विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	रूपये 30/– प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट) मदिरा	रूपये 8/– प्रति बल्क लीटर

3. उक्त अधिसूचना दिनांक 01–04–2018 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.